

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1983/2014/भीलवाडा
मैसर्स एम.एल.भाटिया, भीलवाडा
2. अपील संख्या 1984/2014/भीलवाडा
मैसर्स बुद्धिप्रकाश पंचौली, भीलवाडा
3. अपील संख्या 1985/2014/ भीलवाडा
मैसर्स राकेश एण्ड मुकेश बिल्डर्स, भीलवाडा
4. अपील संख्या 1986/2014/ भीलवाडा
मैसर्स असगर खां, भीलवाडा
5. अपील संख्या 1987/2014/ भीलवाडा
मैसर्स कल्याण सिंह सोलंकी, भीलवाडा
6. अपील संख्या 1988/2014/ भीलवाडा
मैसर्स गोविन्द कन्स्ट्रक्शन, भीलवाडा
7. अपील संख्या 1989/2014/ भीलवाडा
मैसर्स सुराणा बिल्डर्स, भीलवाडा
8. अपील संख्या 1990/2014/ भीलवाडा
मैसर्स एम.एल.भाटिया, भीलवाडा

...अपीलार्थीगण.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11.02.2016

उक्त आठों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमशः अपील संख्या 16, 18, 48, 49 50, 51, 53 एवं 55/वैट/14-15 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2014 व दिनांक 22.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) जारी करते वक्त सकलावर्त में से मजदूरी राशि पर आरोपित कर/ई.सी. शुल्क कम करने हेतु तथा कतिपय मामलों में रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का आरोपण व अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आदेशों में पुष्टिकरण निम्न तालिकानुसार किया गया है :-

लगातार.....2

अपील संख्या	वर्ष	क.नि.आदेश दिनांक	उपायुक्त अपीलस का आदेश दिनांक	विवादित मांग राशि	
				मजदूरी पर ई. सी फीस	रिटर्न पर शास्ति
16/14-15	11-12	31.05.13	31.07.14	60416	-
18/14-15	11-12	31.05.13	22.09.14	33996	-
48/14-15	11-12	23.12.13	22.09.14	19481	-
49/14-15	11-12	27.11.13	22.09.14	1466	अपीलीय अधिकारी के आदेश में दिनांक 08.01.14 अंकित है।
50/14-15	11-12	23.08.13	22.09.14	4500	-
51/14-15	11-12	23.08.13	22.09.14	7055	-
53/14-15	12-13	06.05.14	22.09.14	17213	5000
55/14-15	12-13	06.05.14	22.09.14	24054	5000

अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दिये जाने पर ये अपीलें राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

समस्त आठों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति समस्त पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम.पी. शर्मा ने तर्क किया कि अपीलीय अधिकारी ने संविदा कार्य में निष्पादित माल को कर मुक्त करते हुए वेट अधिनियम 2003 की धारा 8(3) के अनतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005/80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार संविदा कार्य में प्रयुक्त माल को कर मुक्त करते हुए संविदा कार्य से प्राप्त कुल राशि पर अनुसूची के अनुसार कर मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया। उक्त प्रावधान अनुसार ठेकेदार के द्वारा संविदा कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले माल को कर मुक्त किया गया है अतः संविदा कार्य में प्रयुक्त माल पर ही कर मुक्ति शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। संविदा कार्य में प्रयुक्त माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्चे जिस पर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कोई कर देयता नहीं बनने के कारण धारा 8(3) के तहत जारी उक्त अधिसूचना के आलोक में कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता। श्री शर्मा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा (1999) 114 एसटीसी 265 प्रस्तुत कर तर्क दिया कि उक्त निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

"In, my opinion keeping n view the law laid down by the supreme court. It is not open for the revenue to contend that the expression total turnover relating to transfer of property as appearing in section 17(6) of the Act should be read as total turnover relation to the value of the works contract such an interpretation can not be given by applying any known and established rule of construction of statutes."

उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में संविदा कार्य के निष्पादन से कुल प्राप्त राशि में से वेट नियम 2006 के नियम 22(2) के अनुसार कर योग्य आर्बत का अवधारण करते समय उपनियम (1) के अधीन उपबन्धित कटौतियों के अलावा संविदा के कुल मूल्यों में से श्रम की रकम भी काटी जावेगी।

श्री शर्मा ने तर्क दिया कि अधिसूचना दिनांक 11.08.06 में कुल संविदा मूल्य पर कर मुक्ति शुल्क की दर निर्धारण की है। वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कुल संविदा मूल्य को परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि धारा 2(41) में आर्वत (टर्नओवर) को परिभाषित किया गया है :-

“Trunover menas the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchases price of the goods witch are subject to tax under sub section (2) of section 4 bus shall exclude the sale price or part of sale price if, in respect of sales of goods which were purchased in the state by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or where tax on maximum retail price of such goods were paid in the state on an earlier occasion for sales as referred to in.”

इसी प्रकार अधिनियम 2003 की धारा 2(35) में विक्रय व धारा 2(40) में कर योग्य आर्वत (Taxable Turnover) को परिभाषित किया गया है तथा वैट नियम 2006 के नियम 22(2) के अन्तर्गत संविदा कार्य में कर योग्य आर्वत को निर्धारित करने के लिए संविदा कार्य के निष्पादन में मजदूरी की राशि को कुल आर्वत में कम किये जाने के प्रावधान है।

उक्त बाध्यकारी प्रावधानों व उक्त उल्लेखित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि नियम 22(2) के अनुसार संविदा कार्य के निष्पादन में मजदूरी राशि आर्वत का भाग नहीं है अतः संविदा कार्य के निष्पादन से कुल कार्य संविदा से प्राप्त कुल राशि में से मजदूरी राशि को कम किया जाना उक्त प्रावधानों व निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में बाध्यकारी है।

विद्वान अभिभाषक ने रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपित 5000/- रूपये शुल्क को भी अविधिक एवं अनुचित बताया। उन्होंने अवगत कराया कि उनको उक्त शुल्क राशि आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया अतः उक्त शुल्क राशि पर दिये गये अपीलीय अधिकारी का निर्णय अपास्तनीय है।

इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पुरजोर समर्थन किया एवं तर्क दिया कि अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में ई.सी. शुल्क सकल प्राप्तियों पर है न कि पण्यावर्त पर। अतः कर मुक्ति प्रमाण पत्र संविदा में प्रयुक्त माल मय समस्त प्राप्तियों के (मजदूरी सहित) पर आरोपित किया जाना विधिनुकूल है। रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आरोपित विलम्ब शुल्क राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए के अनुसार विलम्ब हेतु आरोपित की गई है जिसके लिये कोई सुनवाई का अवसर दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। अतः प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिसूचना संख्या एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005/80 दिनांक 11.08.2006 का अंकन निम्न प्रकार से है :-

"In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions namely.....

List

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25
2.	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to constructions of roads, runways, bridges, dams, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, sub-ways, spillways, boundary walls and water harvesting structures	1.00
3.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 and 2	3.00

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006."

उक्त अधिसूचना में संविदाकर्मी व्यवहारियों को अधिसूचना में अंकित शर्तों के अनुरूप शुल्क अदायगी पर कर मुक्ति दी गई है एवं सूची के कॉलम नम्बर 3 के अनुसार संबंधित कार्य संविदा की दरें निर्धारित की गई हैं। कॉलम नम्बर 3 में कर मुक्ति की दर संविदा के कुल मूल्य पर शुल्क निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर्नाटक मूल्य परिवर्धित कर अधिनियमों एवं नियमों के तहत प्रदत्त निर्णय जिसमें कुल पण्यार्वत पर कर राशि निर्धारित करने की व्यवस्था दी गई है, के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियमों के अनुसार संविदा से कुल प्राप्त राशि में से वेट नियम 2006 के नियम 22(2) के अनुसार कर योग्य आवर्त का निर्धारण करते समय उप नियम 1 के अनुसार उपबंधित कटौतियां कुल मूल्यों में से काटने का प्रावधान है। परन्तु यदि कोई व्यवहारी कर मुक्ति शुल्क देने का विकल्प चाहता है तो उसके लिये संविदा के पेटे प्राप्तियां कर मुक्ति शुल्क का आधार अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुरूप होगी। यह विकल्प नहीं लेने वाले व्यवहारियों पर नियम 22(1) लागू रहेगा। अतः विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण ससम्मान लागू नहीं कर पाते हैं। तदनुसार मजदूरी के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने के प्रकरण हैं व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से विवरणियां प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 58 जिसमें विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत


करने पर शास्ति के प्रावधान थे, को विलोपित करके 08.07.2009 के पश्चात पुनः अधिसूचना संख्या 11-145 दिनांक 09.03.2011 के द्वारा संशोधित नियम 19ए जिसमें विलम्ब शुल्क हेतु प्रावधान प्रतिस्थापित किये गये हैं, तदनुरूप नियम 19ए(2) का अंकन निम्न प्रकार से है :-

“(II) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees 5000 in all other cases)”

चूंकि शास्ति आरोपण से पूर्व नियम 48 के अनुरूप सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु विलम्ब शुल्क सिविल दायित्व है, जिसका उल्लंघन करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित की गणना स्वयमेव ही की जा सकती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विलम्ब राशि को उचित ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है तदनुरूप आरोपित विलम्ब शुल्क की भी पुष्टि की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आठों अपीलों अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।


11.2.2016
(मदन लाल)
सदस्य